न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 51/2020

1 सेडूराम पुत्र जीवणराम जाति माली निवासी ढ़ाणी कुलियावाली ग्राम संजय नगर तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 मदन पुत्र भानाराम जाति माली निवासी ढ़ाणी कुलियावाली ग्राम संजय नगर तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।
2 राजस्थान बडौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा पपुरना जरिये शाखा प्रबन्धक तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।
3 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय खेतड़ी तहसील कार्यालय खेतड़ी जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय दिनांकित 03.03.2020
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर खेतड़ी बउनवांनी प्रकरण मदन बनाम सेडूराम वगैरह मुकदमा नम्बर 206/2018 अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

उपस्थिति :

1. श्री राजेश कुमार सुण्डा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश बागोरिया, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

—निर्णय—

दिनांकः— 06.09.21

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर झुंझुनू द्वारा मुकदमा नम्बर 206/2018 में पारित निर्णय दिनांक 03.03.2020 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अदालत मातहत के समक्ष एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया कि वाके ग्राम संजयनगर पटवार हल्का रामकुमारपुरा तहसील खेतड़ी में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1063 रकबा 0.19 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1064/2 रकबा 0.04 हैक्टेयर भूमि का प्रार्थी दावा /रेस्पोडेंट संख्या 1 एंकाकी खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है और मौके पर शान्तिपूर्वक काबिज काश्त करता चला आ रहा है, वाके ग्राम संजयनगर पटवार हल्का रामकुमारपुरा तहसील खेतड़ी में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1062 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1163 रकबा 0.20 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.44 हैक्टेयर का अपीलांट खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है ओर मौके पर शान्तिपूर्वक काबिज काश्त करता चला आर रहा है, ढ़ाणी कुलियावाली से दक्षिण दिशा मे आम सड़क करमारी से जिलो जाने वाली सड़क से खसरा नम्बर 1057 व 1060 से होता हुआ एक रास्ता आगे खेतो को जाता है, जिसे कटान में दर्ज करवाने के लिये प्रार्थी/अपीलांट व अन्य खेतों के खातेदारान ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बउनवानी भाताराम बनाम मालाराम आदि न्यायालय श्रीमान के समक्ष पेश कर रखा है, जो विचाराधीन है, भूमि खसरा नम्बर 1060 की पश्चिमी मियाल के साथ खसरा नम्बर 1062 अपीलांट की खातेदारी का खेत लगता है, तथा उक्त भूमि खसरा नम्बर 1062 की उत्तरी मियाल से प्रार्थी दावा/रेस्पोडेंट संख्या 1 के खेत में जाने के लिए पगडण्डी विधमान थी, जिसका उपयोग प्रार्थी दावा/रेस्पोडेंट संख्या 1 अपने खेत मे आने जाने के लिए शान्तिपूर्वक करता आ रहा था तथा प्रार्थी दावा/रेस्पोडेंट्स संख्या 1

पू.प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

अपने खेत में साधन लाता व ले जाता है, जिसके अलावा रेस्पोडेंट संख्या 1 के पास अपने खेत में जाने, साधन जाने ले जाने व आने जाने का अन्य कोई रास्ता नही है। उक्त रास्ता ही रेस्पोडेंट संख्या 1 की भूमि खसरा नम्बर 1063 तक पंहुचने के लिए मौजुद है। इसके अलावा रेस्पोडेंट संख्या 1 के पास आने जाने व साधन जाने ले जाने के लिए कोई रास्ता नही है। रेस्पोडेंट संख्या 1 ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अन्तर्गत धारा 251क के अनुसार प्रतिकर देने के लिए एवं भूमि के बदले भूमि भी देने का निवेदन किया तो उक्त अपीलांट इंकार हो गया। जबकि उक्त रास्ता रेस्पोडेंट के पूर्वजो के समय से ही विधमान रहा है ओर यही से उपयुक्त रास्ता संभव है। इसलिये आवेदन पत्र पेश करना आवश्यक हुआ ओर रेस्पोडेंट संख्या 1 इस प्रार्थना पत्र के जरिये राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251क की पालना करने के लिए तैयार व तत्पर है। अतः अपने खेत खसरा नम्बर 1063 व 1064/2 मे जाने के लिए 10 फिट चौड़ा रास्ता दिलवाये जाने की ईष्त दुआ की, अदालत मातहत ने अपीलांट को सुने बीना व जवाब लिए बिना ही विवादित आदेश दिनांक 03.03.2020 को पारित कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया है। विचाराधीन आदेश से जो रास्ता कायम किया गया है। वह रास्ता कटानी रास्ते तक नही मिलता है। अपीलांट ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि अपीलांट प्रार्थी रेस्पोडेंट को रास्ता देने के लिये तैयार है किन्तु रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले प्रार्थी अपीलांट को भूमि उपलब्ध करवाये। अपील स्वीकार करने का निवेदन किया है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट की जरिये वकील उपस्थिति रही है। अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा जवाब देही का समुचित अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब प्रस्तुत नही

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

किये जाने पर जवाब देही बन्द की गई है। विचारण न्यायालय ने धारा 251ए के विधिक प्रावधानों की पालना कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। धारा 251ए में भूमि के बदले भूमि का कोई प्रावधान नही है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय में अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया है। विचाराधीन आदेश से जो रास्ता कायम किया गया है। वह रास्ता कटानी रास्ते तक नही मिलता है। अपीलांट ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि अपीलांट प्रार्थी रेस्पोडेंट को रास्ता देने के लिये तैयार है किन्तु रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले प्रार्थी अपीलांट को भूमि उपलब्ध करवाये। विचारण न्यायालय ने इन तथ्यों पर गौर किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर दिया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित की जाती है कि अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.09.2021 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 06.09.21 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर